

2025/177

फर्द अहकाम
(नियम 28)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री उमाशंकर पुरोहित
निवासी 75, असावा राजपुरोहित वास
असावा, सनवाडा, तहसील रेवदर
जिला सिरौही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार रेवदर

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 30 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.06.2025	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 20.10.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्रामदानी ग्राम असावा में जब से सरकार द्वारा प्रशासक तहसीलदार की नियुक्ति की गई है, तब से आज तक प्रशासक द्वारा ग्रामदानी गांवों में ली गई बैठकों का विवरण, बैठकों में लिए गए प्रस्तावों की प्रतिलिपि एवं आवंटित व तरमीम की गई भूमियों का ब्यौरा एवं किस प्रक्रिया में ग्रामदानी की कृषि भूमि से आबादी औद्योगिक एवं अन्य उपयोग के हिसाब से संपरिवर्तित भूमि एवं उनकी प्रक्रिया का ब्यौरा और ग्रामदानी में आवक जावक का ब्यौरा केशबुक सभी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सहायक सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 20.10.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्रामदानी ग्राम असावा में जब से सरकार द्वारा प्रशासक तहसीलदार की नियुक्ति की गई है, तब से आज तक प्रशासक द्वारा ग्रामदानी गांवों में ली गई बैठकों का विवरण, बैठकों में लिए गए प्रस्तावों की प्रतिलिपि एवं आवंटित व तरमीम की गई भूमियों का ब्यौरा एवं किस प्रक्रिया में ग्रामदानी की कृषि भूमि से आबादी, औद्योगिक एवं अन्य उपयोग के हिसाब से संपरिवर्तित भूमि एवं उनकी प्रक्रिया का ब्यौरा और ग्रामदानी में आवक जावक का ब्यौरा, केशबुक सभी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

30/6/25
(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरौही